न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 682-तीन/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 25-3-11 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निग0 352-तीन/07 एवं निग0 859-तीन/07.

1-- धनवंती पत्नी ठाकुर प्रसाद
2-- अंगद प्रसाद पुत्र ठाकुर प्रसाद
3-- अशोक कुमार पुत्र ठाकुर प्रसाद
4-- रावेन्द्र प्रसाद पुत्र ठाकुर प्रसाद
5-- प्रवीण कुमार पुत्र ठाकुर प्रसाद
6-- राजाराम पुत्र सुखदेव
सभी निवासी ग्राम जोन्ही, तहसील हुजूर
जिला रीवा म.प्र. ------ आवेदकगण

विरूद्ध

1-- रामकुशल पुत्र सम्पत्ति कुमार मिश्रा (मृत) वारिसान -
(1) विद्या बेवा रामकुशल मिश्रा
(2) प्रकार पुत्र रामकुशल मिश्रा
(3) जीतेन्द्र कुमार पुत्र रामकुशल मिश्रा
निवासी ग्राम जोन्ही तह. हुजूर जिला रीवा
वर्तमान पता ए.जी. कॉलेज रोड, दुर्गा मंदिर के पास रीवा
2-- सम्पत पुत्र सुखदेवराम
3-- राजभान पुत्र स्व. छोटेलाल
4-- रामकृपाल पुत्र स्व. छोटेलाल
5-- अमोल प्रसाद पुत्र स्व. छोटेलाल (मृत) वारिसान -
(1) मीरा पुत्री अमोप्रसाद
(2) अनूप कुमारप्रकार पुत्र रामकुशल मिश्रा
(3) रजनीश
पुत्रगण अमोलप्रसाद
निवासी ग्राम जोन्ही तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.
6-- मुस0 बुदैया बेवा स्व. छोटेलाल (मृत)
7-- श्रीमती गंगा पुत्री श्याम सुन्दर
निवासी ग्राम व पोस्ट रिमारी, सतना
8-- ब्रदी प्रसाद पुत्र स्व. महावीर
9-- रोहिणी प्रसाद पुत्रस्व. भैयालाल
10-- सुरेश प्रसाद पुत्र कमला प्रसाद
11-- बसन्त प्रसाद पुत्र कमला प्रसाद
12-- लक्ष्मन प्रसाद पुत्र कमला प्रसाद

13– रामसिया पुत्र स्व. जमुना राम
14– मोतीलाल पुत्र स्व. जमुना राम (मृत) वारिसान –
(ए) तिजिया बेवा मोतीलाल
(बी) शीतला पुत्र मोतीलाल
(सी) राघवेन्द्र पुत्र मोतीलाल
(डी) हीरामणी पुत्र मोतीलाल
(ई) सतेन्द्र पुत्र मोतीलाल
(एफ) जोगेश पुत्र मोतीलाल
सभी निवासी ग्राम जोन्ही तहसील हुजूर
जिला रीवा म.प्र
(जी) कमती पुत्री मोतीलाल
निवासी ग्राम भितरी तह. रामपुर नैकिन सीधी
(एच) सत्यवती पुत्री मोतीलाल
निवासी ग्राम पटेहरा तह. सिरमौर, रीवा
(आई) राजकुमारी पुत्री मोतीलाल
निवासी ग्राम पिपराहा तह. सिरमौर, रीवा
15– सोनिया पुत्री स्व. भुवनेश्वर प्रसाद
क्रमांक 1 से 5 तथा 8 से 14 में ए से एफ तक
व 15, निवासी ग्राम जोन्ही तहसील हुजूर रीवा ––– अनावेदकगण

श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री आर.एस. सेंगर, अधिवक्ता अनावेदक क्रमांक 13

:: आदेश ::

(आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2014 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा प्र0क0 352–तीन / 07 एवं 859–तीन / 07 में पारित आदेश दिनांक 18–3–11 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रश्नाधीन भूमि की भूमिस्वामी मृतक मुस0 फुल्ली थी । अनावेदक क्रमांक 1 मृतक रामकुशल द्वारा मुस0 फुल्ली द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु विचारण न्यायालय मे दिया । आवेदक क्रमांक 8 राजाराम पुत्र सुखदेव द्वारा भी नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत किया गया । विचारोपरांत नायब तहसीलदार ने दिनांक 8–2–88 को राजाराम के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया । इस आदेश का पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अनुविभागीय अधिकारी

ने बिना दूसरे पक्ष को सुने आदेश दिनांक 24–10–88 द्वारा पुनरावलोकन की अनुमति इस आधार पर दी कि दोनों प्रकरण एक भूमि से संबंधित हैं पक्षकार भी समान हैं, इसलिए दोनों प्रकरणों का अवलोकन कर आदेश पारित किया जाना ।

प्रकरण प्राप्त होने पर अति0 तहसीलदार ने मुस0 बल्ली द्वारा दिनांक 17–8–88 को अनावेदक कमांक 1 मृतक रामकुशल के पक्ष में निष्पादित वसीयत का सत्य मानते हुए वसीयत के आधार पर रामकुशल का नाम अंकित करने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदाकें ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की जो उन्होंने निरस्त की । एस.डी.ओ. के आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने इस आधार पर स्वीकार की कि मूल वसीयत पेश नहीं की गई है और वसीयतनामे के गवाह भुवनेश्वर प्रसाद एवं रोहिणीप्रसाद में से रोहिणी प्रसाद की ही साक्ष्य ली गई है लेकिन उसका प्रतिपरीक्षण नही कराया गया अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने इस न्यायालय में निगरानी पेश की जो तत्कालीन सदस्य ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया गया है । इस न्यायालय के आलोच्य आदेश के विरूद्ध यह पुनरावलोकन प्रस्तुत किया गया है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि तत्कालीन सदस्य द्वारा अभिलेख का अध्ययन किये बिना आदेश पारित किया गया है । अपर आयुक्त के न्यायालय में अनावेदक कमांक 7 मृतक भूमेस्वामी की पुत्री गंगादेवी एवं अनावेदक कमांक 8 एवं 13 द्वारा आवेदकों के पक्ष में राजीनामा पेश कर अपने हित समाप्त कर दिये इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है जबकि उक्त तथ्य उनके समक्ष उठाया गया था ।

यह भी कहा गया कि इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी के निगरानीकर्ता कमांक 14 मोतीलाल पुत्र जमुनाराम की मृत्यु दिनांक 9–7–09 को हो गई थी इस बात की जानकारी अनावेदकों थी किंतु उनके द्वारा मोतीलाल के वारिसों को अभिलेख पर नहीं लिया गया इस कारण अनावेदकों द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी स्वतः ही उपशमित होना चाहिए थी । यह आधार भी पुनरावलोकन हेतु पर्याप्त आधार है ।

यह तर्क भी दिया गया है कि अनावेदक मृतक रामकुशल के पक्ष में जो वसीयत है वह प्रमाणित नहीं है । वसीयत की मूल प्रति पेश किया जाना आवश्यक है जबकि विचारण न्यायालय में मूल वसीयत पेश नहीं की गई । वसीयत के साक्षियों का भी प्रतिपरीक्षण नहीं कराया गया ।

यह तर्क भी दिया गया वसीयत के आधार पर अनावेदक रामकुशल द्वारा आवेदक राजाराम के विरूद्ध प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा और निषेधाज्ञा का वाद क 2ए/2009 प्रस्तुत किया गया था जो विद्वान द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 रीवा द्वारा

दिनांक 2–11–2010 को निरस्त किया गया है । विद्वान व्यवहार न्यायाधीश ने अपने आदेश में अनावेदक द्वारा अपने पक्ष मे बताई गई वसीयत को वैध नहीं माना गया है तथा यह भी निर्धारित किया गया है कि वादी (अनावेदक क) वसीयतनामा के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि का आधिपत्यधारी नही है । उनके द्वारा कहा गया है इस महत्वपूर्ण तथ्य को इस न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है जो पुनरावलोकन का पर्याप्त आधार है ।

यह तर्क भी दिया गया कि इस न्यायालय ने व्यवहार न्यायालय के वसीयत को वैध न मानने संबंधी आदेश के होते हुए भी वसीयत को सिद्ध होना मान्य करने में और अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त करने मे त्रुटि की गई है यह भी कहा गया कि इस न्यायालय ने अपने आदेश में यह तो माना है कि व्यवहार न्यायालय के अंतिम आदेशानुसार राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जा सकती है इसलिए राजस्व न्यायालय में समांतर कार्यवाही प्रचलित रखने का कोई औचित्य नहीं है इसके उपरांत भी उन्होने अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा आलोच्य आदेश को निरस्त किए जाने एवं पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदक क. 1 एवं 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय मे सिविल अपील क. 52ए/10 लंबित है, जिसका उल्लेख आलोच्य आदेश में किया गया है ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है और उनके द्वारा पुनरावलोकन आवेदन निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5– शेष अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं।

6– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा व्यवहार न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण वसीयत के आधार पर नामांतरण का है आलोच्य आदेश द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये थे तथा वसीयत को साक्ष्य से सिद्ध होना मान्य किया था । मूल वसीयत उपलब्ध नहीं होने पर वसीयत की फोटो प्रति पेश कर उसे साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता है अपर आयुक्त द्वारा साक्ष्य की विवेचना किए बिना समवर्ती निष्कर्षों को निरस्त किया है । आदेश में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त ने आदेश पारित करने के पूर्व रामकुशल आदि को पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस न्यायालय का जो आदेश है वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि यदि विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालयों के आदेश विपर्यस्त हो तो द्वितीय अपील में हस्तक्षेप किया जा सकता है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि

वसीयतग्रहीता द्वारा विचारण न्यायालय में वसीयत की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है जोकि आवश्यक थी । न्यायदृष्टांत 1992 आर0एन0 398 में यह अवधारित किया गया है कि यदि वसीयत लिखी गई है तो उसकी मूल प्रति न्यायालय में पेश की जानी चाहिए तथा उसे भी प्रमाणित किया जाना आवश्यक है । अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में जो वसीयत के साक्षी रोहिणीप्रसाद हैं उनका प्रतिपरीक्षण भी नहीं कराया गया है । उक्त तथ्यों को इस न्यायालय द्वारा पूर्णतः अनदेखा करते हुए जो अभियुक्ति अपने आदेश के पैरा 7 में की है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । इसलिए आलोच्य आदेश को पुनरावलोकन में लिए जाने हेतु पर्याप्त आधार है

7– इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अनावेदक रामकुशल द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद कमांक 2ए/2009 प्रस्तुत किया गया । आवेदकों की ओर से इस न्यायालय के समक्ष उक्त वाद में पारित आदेश दिनांक 2–10–10 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विद्वान द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 रीवा द्वारा अनावेदक रामकुशल के पक्ष में की गई वसीयत को वैध नहीं माना गया है और ना ही उनका आधिपत्य स्वीकार किया है । यद्यपि इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन है यह दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है । इस प्रकार इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि स्वत्व के संबंध में तथा वसीयत की वैधता के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद लंबित है । व्यवहार न्यायालय के निर्णय को देखते हुए भी आलोच्य आदेश के पैरा 7 में जो अभियुक्ति दी गई है वह विधि विपरीत है क्योंकि व्यवहार न्यायालय का जो निर्णय वर्तमान में लागू है उसे देखते हुए पैरा 7 में निकाले गये निष्कर्ष विधिसम्मत नहीं हैं । आदेश के पैरा 8 में तत्कालीन सदस्य द्वारा यह माना गया है कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील लंबित है और स्थगन दिया गया है और व्यवहार न्यायालय के अंतिम आदेश के अनुसार राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जा सकती है । इस कारण उन्होंने अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार की है, जिसका आशय यह है कि इस न्यायालय द्वारा अनावेदक के पक्ष में वसीयत के आधार पर मृतक रामकुशल के पक्ष में विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों की पुष्टि की गई है, जो ऊपर की गई विवेचना के परिप्रेक्ष्य में त्रुटिपूर्ण है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तथा इस विधानिक बिंदु को कि वसीयत के आधार पर उभयपक्ष के मध्य आलोच्य भूमि के स्वत्व के संबंध में व्यवहार वाद लंबित है और स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होगा तथा पक्षकारों के साथ–साथ राजस्व न्यायालयों पर भी बंधनकारी होगा, को दृष्टिगत रखते हुए

यह पाया जाता है कि राजस्व मंडल के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त कर न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है इस कारण आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाते हैं

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर